दिनांक–06.10.2026 को अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0) की अध्यक्षता में विद्युत विपत्रों के उर्जा मद के भुगतान के संबंध में वर्तमान व्यवस्था में संशोधन हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही।

---

उपस्थिति–

1. श्री नित्यानन्द प्रसाद, अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव (मु0)
2. श्री अभय कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव (का0प्र0)
3. श्री दया शंकर प्रसाद, मुख्य अभियंता (द0बि0)
4. श्री मुनीश चन्द्र झा, मुख्य अभियंता (याँत्रिक)
5. श्री रामचन्द्र पाण्डेय, मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)
6. श्री प्रद्युम्न शर्मा, मुख्य अभियंता, प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर
7. श्री प्रसुन्न कुमार, मुख्य अभियंता, प्रक्षेत्र भागलपुर
8. श्री मनोज कुमार, मुख्य अभियंता, प्रक्षेत्र पटना
9. श्री रमा शंकर सिंह, अधीक्षण अभियंता, अंचल मुंगेर
10. श्री अजीत कुमार, अधीक्षण अभियंता, अंचल पटना
11. श्री अंजनी कुमार, कार्यपालक अभियंता, प्रमंडल हाजीपुर

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विभागीय योजना से संबंधित विद्युत विपत्रों के उर्जा मद के भुगतान के संबंध में वर्तमान व्यवस्था पर विचार–विमर्श करते हुए, उसमें संशोधन हेतु सर्वसम्मति से निम्नलिखित अनुशंसा किया गया :–

1. चालू एकरारनामा के अन्तर्गत गैर HGN जलापूर्ति योजनाओं (यथा SVS, MVS, PWS, MINI इत्यादि) के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के विरूद्ध उर्जा मद में बकाया राशि का भुगतान उभयपक्षों यथा संबंधित एजेंसियो/संवेदकों तथा कार्यपालक अभियंताओं की सहमति से संबंधित प्रमंडलों द्वारा सीधे संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों को कराया जा सकता है। इस निमित सर्वप्रथम उभयपक्षों के बीच एक सहमति पत्र हस्ताक्षरित कराया जायेगा। तदोपरांत विभाग द्वारा प्रमंडलों से एकरारनामावार विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के विद्युत विपत्रों के बकाये राशि के भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में शीर्षवार एक विशेष अधियाचना (प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन) प्राप्त किया जा सकता है। यदि प्रशासनिक स्वीकृति से (सिर्फ उर्जा मद में) अधिक राशि वास्तविक रूप से व्यय किया जाता है तो उक्त राशि हेतु Deviation/Variation की स्वीकृति के आधार पर अधियाचित की जा सकती है।

(202)

प्राप्त अधियाचना के विरूद्ध विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निधि का आवंटन करते हुए प्रमंडलों द्वारा संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों को विद्युत विपत्रों के बकाया राशि का सीधे भुगतान कराया जा सकता है।

2. गैर HGN जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित वैसे एकरारनामा जो सम्प्रति विस्तारित अवधि में है, के विरूद्ध सभी अपेक्षित कार्रवाई यथा Deviation/Variation/Claim आदि पूर्ण करते हुए संबंधित एजेंसियों/संवेदकों के साथ अबिलम्ब पुरक एकरारनामा कर लिया जाय। तदोपरांत कंडिका 01 में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई करते हुए प्रमंडलों द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों को एकरारनामावार संबंधित विद्युत विपत्रों के बकाया राशि का सीधे भुगतान कराया जा सकता है।
3. भविष्य में गैर HGN जलापूर्ति योजनाओं के O&M हेतु होने वाले एकरारनामा से संबंधित विद्युत विपत्रों के उर्जा मद की राशि का भुगतान नियमित रूप से प्रमंडलों द्वारा सीधे संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों को कराया जा सकता है। तद्नुसार निविदा दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।
4. HGN जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के उर्जा मद के बकाया राशि के भुगतान हेतु एक विशेष अभियान चलाकर संबंधित एजेंसियो/संवेदकों के माध्यम से भुगतान कराया जा सकता है तथा उक्त भुगतान के विरूद्ध संबंधित एजेंसियो/संवेदकों को अबिलम्ब प्रतिपूर्ति किया जाय। इस निमित प्रमंडलों से विद्युत विपत्रों के बकाया राशि के विरूद्ध होने वाले भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु एकरारनामावार एवं शीर्षवार विहित प्रपत्र में एक विशेष अधियाचना (प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन) प्राप्त कर निधि का अग्रिम रूप में आवंटन किया जा सकता है। बावजूद इसके भुगतान नहीं करने वाले एजेंसियो/संवेदकों के विरूद्ध संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण एकरारनामा में प्रावधानित शर्त्तों के अधीन कार्रवाई किया जा सकता है।
5. वर्त्तमान में बिहार स्टेट पावर (हो0) कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा विभागीय उपभोक्ता संख्याओं के विरूद्ध उर्जा मद में अद्यतन दावा किये गये राशि का प्रक्रियाधीन संयुक्त सत्यापनोपरांत वैसे विद्युत उपभोक्ता संख्याओं, जिसका भुगतान प्रमंडलों द्वारा स्वयं किया जाना है, के विद्युत विपत्रों के उर्जा मद की सत्यापित बकाया राशि के भुगतान हेतु प्रमंडलों से विहित प्रपत्र में शीर्षवार अधियाचना प्राप्त

कर शीध्रातिशीध्र निधि का आवंटन करते हुये नियमित रूप से भुगतान कराया जा सकता है।

6. वैसे एकरारनामा संख्या जिसके विरूद्ध स्वीकृत प्रशासनिक राशि व्यय हो चूका है परन्तु संबंधित विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के उर्जा मद में बकाया राशि का भुगतान लंबित है, से संबंधित एजेंसियों/संवेदकों को चिन्हित करते हुए उनके अन्य एकरारनामा में भुगतेय राशि अथवा जमा प्रतिभूति की राशि को जब्त कर उर्जा मद के बकाये राशि का भुगतान कराया जा सकता है।

7. उक्त सभी भुगतान में DPS मद की राशि की छूट हेतु विभाग स्तर से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना से अनुरोध किया जा सकता है। छूट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में DPS मद में होने वाले भुगतान की वसुली दोषी एजेंसियों/संवेदकों से किया जा सकता है।

06/10/26
(अंजनी कुमार)
कार्यपालक अभियंता,
प्रमंडल हाजीपुर

06/10/26
(अजीत कुमार)
अधीक्षण अभियंता, अंचल पटना

6/10/26
(रमा शंकर सिंह)
अधीक्षण अभियंता, अंचल मुंगेर

6.10.26
(मनोज कुमार)
मुख्य अभियंता, प्रक्षेत्र पटना

6.10.26.
(प्रसुन्न कुमार)
मुख्य अभियंता, प्रक्षेत्र भागलपुर

6/10/26
(प्रद्युम्न शर्मा)
मुख्य अभियंता, प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर

(रामचन्द्र पाण्डेय)
मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)

06.10.2026
(मुनीश चन्द्र झा)
मुख्य अभियंता (याँत्रिक)

06/X/26
(दया शंकर प्रसाद)
मुख्य अभियंता (द0बि0)

06/10/2026
(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव
(का0प्र0)

6/10/26
(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव
(मु0)

# बिहार सरकार
## लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांक–14 / बैठक–1024 / 24 - 893 दिनांक– 29/10/26

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र बिहार / सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल बिहार / सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0)

ज्ञापांक–14 / बैठक–1024 / 24 - 893 दिनांक– 29/10/26

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0 / का0प्र0) / अपर सचिव / सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार / दक्षिण बिहार / यांत्रिक / अनुश्रवण) / अभियंता प्रमुख–सह– विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी / बजट पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / आइटी मैनेजर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह– विशेष सचिव (मु0)

ज्ञापांक–14 / बैठक–1024 / 24– 893 दिनांक– 29/10/26

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, को सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह– विशेष सचिव (मु0)